राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2958/2023

डॉ. कृष्ण कुमार पारीक —अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं (ग्रुप–2) विभाग एवं पंचायतीराज (चिकित्सा) विभाग, जयपुर।
4. अधीक्षक, मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतीकरण की दिनांक : 16.10.2023
आदेश की दिनांक : 27.10.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री अनूप पारीक, अभिभाषक

समक्ष :– चेतन राम देवड़ा, सदस्य
लेखराज तोसावडा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर में कार्यरत है। अपीलार्थी का आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर से पीएचसी आकोला, जिला भीलवाड़ा में निम्नतर पद पर स्थानान्तरण किया गया, जिसके विरूद्ध अपीलार्थी द्वारा माननीय अधिकरण में अपील संख्या 4347/2022 दायर की गई, जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2022 (अनुलग्नक–2) द्वारा अपीलार्थी के संबंध में स्थगन आदेश पारित किया गया और वर्तमान पदस्थापन स्थान पर ही कार्यरत रहने के के आदेश दिए गए। प्रत्यर्थी संख्या–4 के आदेश दिनांक 12.09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का वेतन रोक लिया गया। अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को दिनांक 13.09.2023, 21.09.2023 एवं 29.09.2023 (अनुलग्नक–3) द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी का माह अगस्त, 2023 का वेतन आहरण नहीं किया जा रहा है। अतः अपीलार्थी का माह अगस्त, 2023 का वेतन आहरण किया जावे। परन्तु विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई।

अतः उक्त आधारों पर अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग के आदेश दिनांक 1209.2023 (अनुलग्नक–1) को अपास्त किया जावे। प्रत्यर्थी विभाग को निर्देश दिए जावें कि अपीलार्थी को वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित अगस्त, 2023 का वेतन दिया जावे।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

प्रकरण के तथ्यों, अभिलेख एवं अभिवचनों से यह प्रकट होता है कि अपीलार्थी वर्तमान में प्रमुख मुख्य चिकित्सा अधिकारी के पद पर मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर में कार्यरत में कार्यरत है तथा आदेश दिनांक 03.09.2022 के द्वारा मनोचिकित्सा केन्द्र, जयपुर से पीएचसी आकोला, जिला भीलवाड़ा किया गया। अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 27.10.2022 के द्वारा स्थगित कर दिया गया और अपीलार्थी को उसी स्थान पदस्थापित करने के आदेश भी दिए गए थे, जिसकी पालना में अपीलार्थी को उक्त आदेश जारी होने से पूर्व जहां पर वह कार्यरत था, उसे वही पदस्थापित किया गया। प्रत्यर्थी संख्या–4 के आदेश दिनांक 12.09.2023 (अनुलग्नक–1) द्वारा अपीलार्थी का वेतन रोक लिया गया। अपीलार्थी को अगस्त, 2023 का वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमारे मत में प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी की सेवाएं जिस पदस्थापन स्थान से ली जा रही हैं। अपीलार्थी उक्त सेवाओं का वेतन प्राप्त करने का अधिकारी है, परंतु विभाग द्वारा अपीलार्थी को वेतन नहीं दिया जाना सेवा नियमों एवं विधि के विरूद्ध प्रकट होता है। प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिए जाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग अपीलार्थी का वेतन किसी भी रिक्त पद से 15 दिवस में आहरित किया जावे तथा पूर्व का बकाया वेतन भी अपीलार्थी को प्रदान किया जावे। इस निर्देश के साथ अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य